

भाग क

अधिक्रमण किए गए परिपत्रों तथा अनुदेशों की सूची

| सं. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|-----|---|------------|--|
| 1. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-18/ 01.02.00/ 2000-01 | 23.03.2001 | प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटन |
| 2. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-14/ 01.02.00/ 2001-02 | 08.02.2002 | प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटन |
| 3. | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -1/01.02.00/ 2004-05 | 26.04.2005 | व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश पर प्रकटन |
| 4. | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -2/01.02.00/ 2006-07 | 01.07.2006 | मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड |
| 5. | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -2/01.02.00/ 2007-08 | 02.07.2007 | मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड |

भाग ख

प्रकटीकरण मानदंडों से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश/निर्देशों के अन्य परिपत्रों की सूची

| सं. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|-----|---|------------|--|
| 1. | डीबीएस. एफआइडी. सं. 20/ 02.01.00/1997-98 | 04.12.1997 | एकल/सामूहिक उधारकर्ताओं को मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के ऋण निवेश संबंधी सीमाएं |
| 2. | एमपीडी. बीसी. 187/ 07.01.279/ 1999-2000 | 07.07.1999 | वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप) |
| 3. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-9/ 01.02.00/ 2000-01 | 09.11.2000 | दिशानिर्देश - निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यन |
| 4. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी- 19/ 01.02.00/ 2000-01 | 28.03.2001 | पुनर्चित खातों के संबंध में व्यवहार |
| 5. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी- 26/ 01.02.00/ 2000-01 | 20.06.2001 | मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - 2001-02 - ऋण एक्सपोजर मानदंड |
| 6. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-2/ 01.11.00/ 2001-02 | 25.08.2001 | कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) |
| 7. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-6/ 01.02.00/ 2001-02 | 16.10.2001 | निवेश के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश- आशोधन/ स्पष्टीकरण |
| 8. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/ 2002-03 | 23.04.2003 | प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश |
| 9. | आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03 | 03.06.2003 | विनिमय व्यापार वाले ब्याज दर व्युत्पन्न साधनों पर दिशानिर्देश |
| 10. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-5/ 01.02.00/ 2003-04 | 01.08.2003 | समेकित लेखा-प्रणाली तथा समेकित पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश |

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 11. | डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-11/ 01.02.00/ 2003-04 | 08.01.2004 | वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश |
| 12. | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.8/01.02.00/2009-10 | 26.3.2010 | लेखे पर टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण |
| 13. | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.9/01.02.00/2009-10 | 26.3.2010 | अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए स्तरों की गणना |
| 14 | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.. 5/ 01.02.00/ 2010-11 | 18 अगस्त 2010 | परिपक्वता तक धारित संवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री |
| 15 | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 8/ 01.02.00/ 2010-11 | 2 नवंबर 2010 | बैंकों के तुलन-पत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड -काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग |
| 16 | बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.सं .5/01.02.00/2012-13 | 17 जून , 2013 | बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश |